11.7.25 अधिवक्ता प्रार्थी उप0 / अधिवक्ता अप्रार्थी गण अनुपस्थित। इसलिए पत्र तहसील कार्यवाही में ली गई। वादी का बाद मुताबिक तहकीकात रिपोर्ट पेश किया गया पुकार है। चूंकि प्रा0 पत्र 212 RT Act धारा के तहत पेश है इसलिए अब प्रा0 पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शामिल पेश दर्ज रजिस्टर होकर हो

BL

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)